

अतितत्काल/समयबद्ध
आरटीआई मामला

सं. एवी-34010/124/2025-एएआई (278118)

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 29.08.2025

सेवा में,

श्री उदय चटर्जी,
निवासी: के47/601, शापूजी शुखोब्रिस्टी, एक्शन एरिया 3, न्यू टाउन,
नार्थ 24 परगना, पिन: 700135 (पश्चिम बंगाल)।
ई-मेल आईडी: udaychatterjee000@gmail.com

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत श्री उदय चटर्जी का आवेदन पत्र।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु पंजीकरण संख्या MOCAR/R/E/25/00043 दिनांक 02.08.2025 के अपने आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें।

2. जहाँ तक नागर विमानन मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनुभाग का संबंध है, बिंदुवार उत्तर निम्नानुसार है:-

बिंदु सं.	उत्तर
1, 2 और 3	यह सूचित किया जाता है कि अपेक्षित सूचना उत्तरदाता केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा संधारित अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह प्रतीत होता है कि उक्त सूचना पृथक लोक प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास उपलब्ध हो सकती है। अतः आपका आरटीआई आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (3) के अंतर्गत आवश्यक सूचना सीधे आपको उपलब्ध कराने हेतु संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई पोर्टल) को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है।
4	यह सूचित किया जाता है कि किसी हवाईअड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किया जाना यातायात क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन हेतु विमानन कंपनियों की मांग, द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों तथा ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं, इंस्ट्रुमेंट लाइटिंग सिस्टम (आईएलएस), रनवे की लंबाई, इमिग्रेशन, स्वास्थ्य एवं पशु तथा पादप संगरोध सेवाओं आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

यदि आप इस उत्तर के संबंध में कोई प्रथम अपील प्रस्तुत करनी हो, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, सुश्री नयोनिका दत्ता, नागर विमानन मंत्रालय, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली-110003 के समक्ष की जा सकती है।

भवदीय,

(दीपक नागपाल)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपर सचिव

प्रतिलिपि:

आरटीआई प्रकोष्ठ, नागर विमानन मंत्रालय